

माला

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/45/57/पार्ट-2/कार्य विभाजन/ 1872 भोपाल दिनांक 24/04/2023

आदेश

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972(क्रमांक 24 से 1973) की धारा 65 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं श्रीमती जी.द्वी. रश्मि, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एतद द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम 04 में वर्णित शक्तियां म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय में पदस्थ कॉलम 02 में उल्लेखित अधिकारी को प्रत्यायोजित करती हूँ -

अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम	म.प्र.राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा	प्रत्यायोजित की गई शक्तियों की सीमा
1	2	3	4
01	श्री गौतम सिंह आई.ए.एस. (अपर संचालक)	धारा 7(2)	धारा 7(2) के तहत जारी आदेशों, परिपत्रों के अंतर्गत उद्घूत प्रकरणों पर अपील स्वीकार करना, रद्द करना, स्थगन देना अथवा अन्य प्रकार से आदेश पारित कर निराकृत करना। म.प्र. कृषि उपज मंडी भूमि संरचना आवंटन नियम 2009 के नियम 19 के तहत अपील को स्वीकृत, स्थगन, रद्द, निराकृत करना।
		धारा 59(1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मांगने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उन्हें उपांतरित करना, वातिल करना, उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
		धारा 9(2)	बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि के अर्जन संबंधी प्रकरणों के विवादों की अपील निराकृत स्वीकार या रद्द करना या उनमें स्थगन प्रदान करना।

//2//

उपरोक्त अधिकारी को प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकरणों में सुनवाई करने, अपील निराकृत करने, आदेश पारित करने एसी कालावधि के लिए जहाँ उचित समझौं स्थगन करने या रोकने की शक्ति प्राप्त होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

C.

(जी.व्ही. रश्मि)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/45/57/पार्ट-2/कार्य विभाजन/ 1873 भोपाल दिनांक 24/04/2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक माननीय अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. श्री गौतम सिंह, (आई.ए.एस.) अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर अग्रेषित।
5. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय की ओर अग्रेषित।
6. मुख्य अभियंता/ अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल/उज्जैन/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. सहायक संचालक (सम्पदा/प्रांगण) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
9. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, (समस्त)।
10. समस्त पटल प्रभारी/आदेश नस्ती/सूचना पटल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल